न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:– 11/2023 तारीख रजू:–06.07.2023

जीसीएमएस नंबर:–2023/20

पीठासीन अधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. केदार पुत्र छीतर
2. सागर पुत्र छीतर
3. रामलाल पुत्र छीतर

समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान बिन्जारी, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रतिवादी

उपस्थित:–

वकील वादीगण:– श्री हंसराज यादव, एडवोकेट

वकील प्रतिवादी संख्या:– तहसीलदार, पैराकार सरकार

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 91 एवं इन्द्राज दुरूस्ती 136 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक:– 10.12.2025

–: निर्णय :–

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि–

❖ वादीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 206 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम बिन्जारी तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित है उपरोक्त भूमि वादीगण के पिता छीतर पुत्र नारायण कोम गुर्जर निवासी बिन्जारी के नाम दिनांक 24.06.1975 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आंवटन किया गया है जिसका नामान्तकरण सं. 36 दिनांक 10.10.1977 ग्राम बिजारी तहसील व जिला सवाई माधोपुर मरा गया तब से वादीगण के पिता का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। उक्त खेत साबिक खसरा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.10 16:42:23 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 206 के पूर्व दिशा में साबिक खसरा नम्बर 205 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा 184,203,204, एवं 200 की भूमि स्थित थी जिसमें वादीगण के साबिक खसरा नम्बर 184 रकबा 5 बिस्वा की खातेदारी खातेदार छीतर पुत्र नारायण गुर्जर वादीगण के पिता के नाम दर्ज थी एवं साबिक खसरा नम्बर 203 रकबा 10 बिस्वा की खातेदारी गणेश पुत्र श्रीकिशन बैरवा के नाम एवं साबिक खसरा नम्बर 204 रकबा 9 बिस्वा की खातेदारी हरफूल वगै० के नाम एवं साबिक खसरा नम्बर 200 रकबा 12 बिस्वा की खातेदारी देव्या, भजन पिता माग्या कोम बैरवा हिस्सा 1/2 छोटया पुत्र विश्धा हिस्सा 1/2 के नाम थी जमाबन्दी संम्वत 2035 से 2038 एवं पुराना नक्शा ट्रेश वाद पत्र के साथ संलग्न है।

❖ वर्तमान में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा ग्राम बिन्जारी तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में भूप्रबंधन किया जा चुका है जिसमें साबिक खसरा नम्बर 184 रकबा 5 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 349 रकबा 0.02, खसरा नम्बर 350 रकबा 0. 02, खसरा नम्बर 351 रकबा 0.02 है बना दिये इसी प्रकार साबिक खसरा नम्बर 203 रकबा 10 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 399 रकबा 0.13 है बना दिये तथा साबिक खसरा नम्बर 204 रकबा 9 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 400 रकबा 0.11 है० बना दिये तथा साबिक खसरा नम्बर 200 रकबा 12 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 396 रकबा 0.15 है० बना दिये तथा साबिक खसरा नम्बर 205 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा किस्म गै.मु.रास्ता को साबिक खसरा नम्बर 206 रकबा 20 बीघा 1 बिस्वा मे से 3 बीघा को शामिल करते हुये खसरा नम्बर 358 रकबा 0.14 है0, 403 रकबा 0.34 है० खसरा नम्बर 402 रकबा 0.12 है०, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.50 है एवं अन्य खसरा नम्बर बना दिये।

❖ दौराने सेटलमेन्ट भू प्रबंध विभाग द्वारा ग्राम बिन्जारी में वादीगण की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 206 रकबा 3 बिधा के नवीन खसरा नम्बर 404 रकबा 0.50है०, खसरा नम्बर 402 रकबा 0.12 है०, खसरा नम्बर 453 रकबा 0.05 है. खसरा नम्बर 356 रकबा 0.04 है०, [illegible] रकबा 0.05 है०, बनाकर नवीन नक्शा शीट जारी कर दी जिसमें [illegible] भूप्रबंध से पहले एक ही चक में था एवं भूप्रबंध के बाद अलग [illegible] पांच टुकडो में बना दिया एवं गै.मु.रास्ता खसरा नम्बर 403 को वादीगण [illegible] खेत के बीच से दर्ज कर दिया जो गलत है क्योकि साबिक खसरा नम्बर 205 रकबा 1 बीधा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.10 16:42:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

3 बिस्वा के पश्चिम दिशा में साबिक खसरा नम्बर 206 की भूमि स्थित थी एवं पूर्व की और साबिक खसरा नम्बर 184, 200, 202, 203, 204, की भूमि स्थित है परन्तु वर्तमान नक्शा शीट में गलती हो जाने से साबिक खसरा नम्बर 206 के बने नवीन खसरा नम्बर 402, 353, 356, एवं 357 की भूमि को साबिक खसरा नम्बर 205 के बनाये नवीन खसरा नम्बर 403 किस्म गै.मु. रास्ता पूर्व दिशा में अंकित कर दिया जो गलत है। एवं भू प्रबंन्ध विभाग द्वारा नवीन खसरा नम्बर 403 किस्म गै. मु.रास्ता का अंकन नक्शा शीट में गलत दर्ज हो जाने से वादीगण के खेत के बीच से रास्ता दर्ज हो गया एवं प्रतिवादी भूप्रबंन्ध विभाग द्वारा गलत दर्ज गै.मु.रास्ते पर पर नवीन रास्ता बनाने पर आमादा है। एवं वर्षो पूर्व से बने साबिक खसरा नम्बर 205 किस्म गै. मु. रास्ते पर गांव के ही दबंग व्यक्तियों द्वारा रास्ता बन्द कर कब्जा करने के उद्देश्य से साफ सफाई कर खेतो में मिला रहे है। व प्रतिवादी के यहां शिकायत कर वादीगण के खेतो के बीच रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे है। जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को पुराने रास्ते को बन्द कर वादीगण के खेत के बीच से नवीन रास्ता बनाने से मना किया तो कहा कि वर्तमान नक्शा शीट में रास्ता तुम्हारे खेत के बीच से बना दिया और हम तो नक्शे में दर्शित रास्ते को ही खुलासा करायेगें एवं दिनांक 25.06.2023 को मौके पर श्रब्ठ लाकर रास्ता खोलने का प्रयास किया तब वादीगण द्वारा नवीन व पुराने नक्शा शीट एवं जमाबंन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल आदि की नकल ली तो पता चला कि नवीन नक्शा शीट में भूप्रबंन्ध विभाग द्वारा रास्ते का इन्द्राज गलत दर्ज कर दिया वादीगण उक्त दस्तावेज व राजस्व रिकार्ड की नकल लेकर प्रतिवादीगण के पास गया व वादीगण के खेत के बीच से रास्ता निकालने से मना किया तो कहा कि उक्त अशुद्धि को न्यायालय में दावा पेश कर शुद्ध करावे तब ही कार्य रोकेगे अन्यथा ग्राम पचायत द्वारा वर्तमान नक्शा शीट ग्राम बिन्जारी में दर्शित रास्ते पर ही सी.सी. रोड बनायेगें जिस पर बिनाय दावा पैदा होकर प्रतिवादीगण के विरुद्ध दावा पेश करना लाजमी आया।

- वर्तमान में वादीगण के खातेदारी में साबिक खसरा नम्बर [illegible] रकबा 3 बीधा भूमि के बने नवीन खसरा नम्बर 353 रकबा 0.05 खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.04 है० खसरा नम्बर 357 रकबा 0.05 है० खसरा नम्बर 402 रकबा 0.12 है० खसरा नम्बर 404 रकबा 0.50 है० कुल किता 05 कुल रकबा 0.76 है बना दिये जिसमें खसरा नम्बर 404 के सहारे खसरा नम्बर 403 रकबा 0.34 है गै.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.10 16:42:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

मु.रास्ता दर्ज कर दिया जो गलत है जबकि गै. मु.रास्ता नवीन खसरा नम्बर 353,354,355,359, के उत्तर दिशा से होकर नवीन खसरा नम्बर 401 तक जा रहा है उक्त सभी नवीन खसरा नम्बर 206 के बने हुए है एवं खसरा नम्बर 206 के बीच कोई रास्ता मोजूद नही था परन्तु वर्तमान में साबिक खसरा नम्बर 205 एवं 206 को मिलाकर नवीन खसरा नम्बर 403 रकबा 0.34 है गै. मु.रास्ता बना दिया जबकि साबिक खसरा नम्बर 206 की भूमि गै.मु. रास्ता की भूमि नही है इसी गलती के कारण नवीन नक्शा शीट में गलत जगह रास्ता बना दिया जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित है।

❖ वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भूप्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 205 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि के गलत बने नवीन खसरा नम्बर 403 रकबा 0.34 है० को स्वयं की खातेदारी में दर्ज करवाकर खतेदार घोषित करावें एवं नवीन खसरा नम्बर 353, 354, 355, 357, 358, 359, एवं 401 की पूर्वी मेड से गै०. मु०रास्ता की भूमि कम करके नक्शा दुरस्त करावे एवं जब तक नवीन नक्शा ट्रेश में गै. मु. रास्ता को दुरस्त नही किया जावे तब तक किसी भी प्रकार की मौका स्थिति में परिवर्तन नहीं करें।

❖ अतः वादीगण का वाद पत्र निम्न प्रकार स्वीकार फरमाया जावें कि–

➢ घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम बिन्जारी तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर की साबिक खसरा नम्बर 206 रकबा 3 बीघा के बने नवीन खसरा नम्बर 404 रकबा 0.50 है०, खसरा नम्बर 402 रकबा 0.12 है०, खसरा नम्बर 353 रकबा 0.05, खसरा नम्बर 356 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.05 है०, में से नवीन खसरा नम्बर 353 रकबा 0.05 है०, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.05 है०, को हज्फ कर गै. मु.रास्ता दर्ज किया जावें एवं नवीन खसरा नम्बर 403 रकबा 0.34 है० किस्म गै.मु.रास्ता में से नवीन रकबा 0.10 है० को कम करके उक्त रकबा की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज कर खातेदार घोषित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.10 16:42:23 IST
Reason: SelfAttested

➢ स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादी ताफैसला इस अमर की फरमाई जावे कि भूप्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण के खेत के बीच से गलत दर्ज खसरा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

नम्बर 403 रकबा 0.34 है० किस्म गै. मु.रास्ता पर किसी भी प्रकार से तोडफोड ना करे ना ही कोई बदलाव कर मौका स्थिति में परिवर्तन करे व ना ही वादीगण के खेत के बीच से नवीन रास्ता बनाये। उक्त कार्य ना तो प्रतिवादी स्वंय करे ना ही किसी दीगर व्यक्ति नोकर, एजेन्ट से करावे ना ही वादीगण के कब्जे काश्त में माने मजामत व मदाखलत करे।

➢ दुरस्ती इन्द्राज इस प्रकार किया जावे कि ग्राम बिन्जारी तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर साबिक खसरा नम्बर 206 रकबा 3 बीघा की भूमि के बने नवीन खसरा नम्बर 353 रकबा 0.05 है०, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.05 है० का नक्शा दुरस्त कर खसरा नम्बर 404 एवं 402 के बीच खसरा नम्बर 4043 की जगह दर्शाया जावे एवं नवीन खसरा नम्बर 403 किस्म गै. मु.रास्ते को नवीन खसरा नम्बर 353 रकबा 0.05 है०, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.05 है० से दर्शाते हुए नवीन खसरा नम्बर 354, 355, 359, 358 एवं 401 के पूर्वी दिशा से वर्षो पूर्व से बने रास्ते पर दर्शाया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिवादीगण जारी किये गये।

3. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा (प्रतिवादी) ने अपने पत्रांक भू0अ0/2023/1987 दिनांक 07.08.2023 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रेषित की है कि–

❖ वादीगण के पिता छीतर पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी बिन्जारी को ग्राम बिन्जारी के साबिक खसरा नम्बर 206 में से दिनांक 24.06 1975 को 3 बीघा भूमि आवंटन हुई थी जो नामा० संख्या 236 दिनांक 10.10.1977 से वादीगण के पिता छीतर पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी बिन्जारी के नाम रिकार्ड दर्ज हुई तथा साबिक खसरा नम्बर 184 में से 5 बिस्वा भूमि नामा० संख्या 254 दिनांक 10.10.1977 से भी वादीगण के पिता के नाम आवंटन हुई।

❖ ग्राम बिन्जारी के साबिक खसरा नम्बर 206 में से आवंटित 3 बीघा के हाल खसरा नम्बर 353/0.05, 356/0.04, 357/0.05, 402/0.12, [illegible] कुल किता 5 रकबा 0.76 है० एवं साबिक खसरा नम्बर 184 में से आवंटित 5 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 349/0.02, 350/0.02, 351/0.02 किता 3 रकबा 0.06 है० कुल किता 8 रकबा 0. 86 है० भूमि ग्राम बिनजारी की वर्तमान जमाबन्दी के खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.10 16:42:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

संख्या 228 में वादीगण केदार, रामलाल, सागर पि० छीतर जाति गुर्जर निवासी बिन्जारी के नाम बराबर की खातेदारी में दर्ज है।

- ❖ ग्राम बिन्जारी के साबिक खसरा नम्बर 203 के हाल खसरा नम्बर 399 रकबा 0.33 है० है जो वर्तमान में गणेश पुत्र श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी बिन्जारी के नाम खातेदारी रिकार्ड में दर्ज है। साबिक खसरा नम्बर 204 रकबा 0.09 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 400 रकबा 0.11 है० वर्तमान में हरफूल पुत्र श्रीनारायण हि. 1/3. बुधराज, मनराज, श्योराज पि. चम्पा हि.1/3. किरमाबाई नाबा०, किस्मतबाई नाबा० पुत्रियां बाबूलाल हि.1/3 जाति गुर्जर के नाम दर्ज है। साबिक खसरा नम्बर 200 रकबा 0.12 बीघा हाल खसरा नम्बर 396 रकबा 0.15 है. देव्या पुत्र मांग्या जाति बैरवा के नाम तथा साबिक खसरा नम्बर 205 रकबा 1.03 बीघा किस्म गै. मु.रास्ता व साबिक खसरा नम्बर 206 रकबा 20.01 बीघा में से 0. 04 बीघा भूमि शामिल करते हुए हाल खसरा नम्बर 403 रकबा 0.34 है० गै० मु०रास्ता बनाया गया है एवं साबिक खसरा नम्बर 206 में से अन्य खसरा नम्बर बना दिये गये है।

- ❖ ग्राम बिन्जारी में दौराने सेटलमेन्ट के भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 206 रकबा 3 बीघा के हाल खसरा नम्बर 353/0.05. 356/0.04, 357/0.05.402/0.12. 404/0.50 बनाकर नवीन नक्शा शीट जारी कर दी है। सेटलमेन्ट से पूर्व वादीगण का खेत एक ही चक में था लेकिन सेटलमेन्ट के बाद भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा अलग अलग हाल खसरा नम्बर 353,356,357,402,404 बना दिये एवं खसरा नम्बर 403 रकबा 0.34 है० गै० मु०रास्ता वादीगण के उक्त खसरा नम्बर के बीच में दर्ज कर दिया गया है। क्योंकि साबिक खसरा नम्बर 205 रकबा 1.03 बीघा गै.मु.रास्ता के पश्चिम दिशा में साबिक खसरा नम्बर 206 की भूमि स्थित थी। पूर्व दिशा की ओर साबिक खसरा नम्बर 184, 200, 203.204 स्थित है। परन्तु वर्तमान नक्शा लदठा में भू-प्रबन्ध के दौरान साबिक खसरा नम्बर 205 हाल खसरा नम्बर 403 गै०म्०रास्ता के पूर्व दिशा की ओर साबिक खसरा नम्बर 206 के हाल [illegible] 402. 353, 353.357.358.358/1657,401 बना दिये गये एवं दक्षिणी [illegible] में खसरा नम्बर 404.405,406 बना दिये गये। भू-प्रबन्ध के दौरान साबिक [illegible] नम्बर 205 के हाल खसरा नम्बर 403 गै०मु०रास्ता का अंकन नक्शा ल[illegible] दर्ज हो जाने से वादीगण के खेतों के बीच से रास्ता दर्ज हो गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.10 16:42:23 IST
Reason: SelfAttested

Vogen
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

❖ वर्तमान में वादीगण के खातेदारी की साबिक खसरा नम्बर 206 रकबा 3 बीघा के हाल खसरा नम्बर 353,356,357,402,404 कुल किता 5 रकबा 0.76 है० बना दिये जिससे खसरा नम्बर 404 के सहारे खसरा नम्बर 403 रकबा 0.34 है० गै०मु०रास्ता भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलती से दर्ज हो गया है। उक्त खसरा नम्बर 403 खसरा नम्बर 353,354,355,357,402,401 की दक्षिण दिशा एवं खसरा नम्बर 404,405,406 की उत्तर दिशा से होकर जा रहा है। जबकि उक्त यह सभी खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 206 से बने हुए है। साबिक खसरा नम्बर 206 में कोई गै०मु०रास्ता रिकार्ड में दर्ज नहीं था।

❖ साबिक खसरा नम्बर 205 रकबा 1.03 बीघा गै०मु०रास्ता के हाल खसरा नम्बर 403 रकबा 0.34 है० का सेटलमेन्ट के पूर्व के रिकार्ड अनुसार वर्तमान रिकार्ड से मेल नहीं खाता है। वादीगण की भूमि के बीच में होकर दर्ज कर दिया गया है। यह रास्ता भू–प्रबन्ध से पूर्व हाल खसरा नम्बर 353,354,355,358,358/1657 व 401 के उत्तर दिशा में होकर रिकार्ड दर्ज था। उक्त खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 206 के ही टुकडे है।

❖ भू–प्रबन्ध से पूर्व रिकार्ड अनुसार साबिक खसरा नम्बर 205 गै० मु०रास्ता साबिक खसरा नम्बर 206 के उत्तर पूर्व दिशा से एवं साबिक खसरा नम्बर 184 रकबा 2.17 बीघा के दक्षिण व पश्चिम दिशा (बीच की मेड) से एवं साबिक खसरा नम्बर 203, 204, 202 की पश्चिम दिशा की तरफ से आता था।

❖ भू–प्रबन्ध से पूर्व व बाद के रिकार्ड का मिलान करने पर यह स्पष्ट होता है कि हाल खसरा नम्बर 403 रकबा 0.34 है० गै० मु०रास्ता वर्तमान में जहां पर दर्ज है. यह रास्ता हाल खसरा नम्बर 352, 360, 364, 359, 399, 400, 396 के दक्षिण पश्चिमी मेड तथा खसरा नम्बर 353, 354, 355, 358, 358/1657 व 401 की उत्तर पूर्वी मेड से होकर रिकार्ड में दर्ज होना था, परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भू–प्रबन्ध के दौरान दर्ज कर दिया गया। जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अतः हाल खसरा नम्बर 403 गै० मु०रास्ता को खसरा नम्बर 353,354,355,358,358/1657 की उत्तर दिशा की मेड व खसरा नम्बर 401 की उत्तरी पूर्वी मेड से होकर दर्ज करना उचित होगा। जिससे [illegible] भू–प्रबन्ध से पूर्व के रिकार्ड से मिलान हो सकता है। वर्तमान में मुताबिक रिकार्ड रास्ता चालू है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.10 16:42:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

4. वादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई–

➢ आया वादीगण उनकी खातेदारी भूमि वाके ग्राम बिन्जारी तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 206 रकबा 3 बीघा से बने नवीन खसरा नंबर 404 रकबा 0.50 हैृ0, खसरा नंबर 402 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 353 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 356 रकबा 0.04 है0, खसरानंबर 357 रकबा 0.05 है0 में से नवीन खसरा नंबर 353 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 357 रकबा 0.05 है0 को हजफ कर गै0मु0 रास्ता दर्ज कराने एवं खसरा नंबर 403 रकबा 0.34 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता में से 0.10 है0 रकबा कम करके वादीगण की खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी हैं ?

–वादीगण

➢ आया प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे भू–प्रबंध विभाग द्वारा वादीगण के खेत के बीच से दर्ज खसरा नंबर 403 रकबा 0.34 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता पर तोड़फोड़ व मौका परिवर्तन नहीं करे ?

–वादीगण

➢ क्या नक्शा दुरूस्ती इस प्रकार की जाये कि खसरा नंबर 353 रकबा 0.05 है0 व खसरा नंबर 357 रकबा 0.05 है0 को खसरा नंबर 404 व 402 के बीच खसरा नंबर 403 की जगर दर्शाया जाये एवं खसरा नंबर 403 किस्म गै0मु0 रास्ते को नवीन खसरा नंबर 353 रकबा 0.05 है0 व खसरा नंबर 357 रकबा 0.05 है0 से दर्शाते हुए खसरा नंबर 354, 355, 359, 358 एवं 401 के पूर्वी दिशा से वर्षों पूर्व से बने रास्ते पर दर्शाया जाये ?

–वादीगण

➢ अन्य अनुतोष जो भी हो।

5. वकील वादीगण द्वारा साक्ष्य के समर्थन में निम्न मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये–

- **पी0डब्ल्यू0–1**:–केदार पुत्र छीतर गुर्जर, निवासी बिन्जारी, तहसील चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- **पी0डब्ल्यू0–2**:–पोखर लाल पुत्र बालु गुर्जर, निवासी बिन्जारी, तहसील चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- **पी0डब्ल्यू0–2**:– लक्ष्मीनारायण पुत्र बजरंगा गुर्जर, निवासी बिन्जारी, तहसील चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- **प्रदर्श–1**:– नामान्तरकरण संख्या 236 दिनांक 10.10.
- **प्रदर्श–2**:– जमाबंदी संवत् 2035–38 खाता संख्या 210 वाके ग्राम बिन्जारी
- **प्रदर्श–3**:– जमाबंदी संवत् 2035–38 खाता संख्या 205 वाके ग्राम बिन्जारी
- **प्रदर्श–4**:– जमाबंदी संवत् 2035–38 खाता संख्या 203 वाके ग्राम बिन्जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.10 16:42:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

- **प्रदर्श–5** जमाबंदी संवत् 2035–38 खाता संख्या 80 वाके ग्राम बिन्जारी
- **प्रदर्श–6**:– पुराना नक्शा ट्रेस खसरा नंबर 205 व 406
- **प्रदर्श–7**:– मिलान क्षेत्रफल बिन्जारी साबिक खसरा नंबर 184, 200, 204, 205 एवं 206
- **प्रदर्श–8**:– हाल नक्शा ट्रेस नवीन खसरा नंबर 403, 404, 402, 353, 354, 355, 356, 358, 359 एवं 405
- **प्रदर्श–9**:– जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता संख्या 1 वाके ग्राम बिन्जारी
- **प्रदर्श–10**:– जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता संख्या 228 वाके ग्राम बिन्जारी
- **प्रदर्श–11**:– जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता संख्या 261 वाके ग्राम बिन्जारी

6. वकील वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। मैंने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. नामान्तरकरण संख्या 236 निर्णय दिनांक 10.10.1977 **(प्रदर्श–1)** से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 206/1 रकबा 3 बीघा भूमि वादीगण के पिता के नाम आवंटित हुई थी, जो नक्शा ट्रेस **(प्रदर्श–6)** के अनुसार उक्त खेत साबिक खसरा नम्बर 206 के पूर्व दिशा में साबिक खसरा नम्बर 205 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा 184,203,204, एवं 200 की भूमि स्थित थी। भू–प्रबंध विभाग द्वारा सेटलमेंट के पश्चात् मिलान क्षेत्रफल **(प्रदर्श–7)** के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 184 रकबा 5 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 349 रकबा 0.02, खसरा नम्बर 350 रकबा 0. 02, खसरा नम्बर 351 रकबा 0.02 है बना दिये इसी प्रकार साबिक खसरा नम्बर 203 रकबा 10 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 399 रकबा 0.13 है बना दिये तथा साबिक खसरा नम्बर 204 रकबा 9 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 400 रकबा 0.11 है० बना दिये तथा साबिक खसरा नम्बर 200 रकबा 12 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 396 रकबा 0.15 है० बना दिये तथा साबिक खसरा नम्बर 205 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा किस्म गै.मु.रास्ता को साबिक खसरा नम्बर 206 रकबा 20 बीघा 1 बिस्वा मे से 3 बीघा को शामिल करते हुये खसरा नम्बर 358 रकबा 0.14 है0, 403 रकबा 0.34 है० खसरा नम्बर 402 रकबा 0.12 है०, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.50 है एवं अन्य खसरा नम्बर बने हैं। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बिन्जारी में दौराने सेटलमेन्ट के भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 206 रकबा 3 बीघा के हाल खसरा नम्बर 353/0.05. 356/0.04, 357/0.05.402/0.12. 404/0.50 बनाकर नवीन नक्शा शीट जारी कर दी है। सेटलमेन्ट से पूर्व वादीगण का खेत एक [illegible] था लेकिन सेटलमेन्ट के बाद भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा [illegible] खसरा नम्बर 353,356,357,402,404 बना दिये एवं खसरा नम्बर 403 रकबा [illegible] गै० मु०रास्ता वादीगण के उक्त खसरा नम्बर के बीच में दर्ज कर दिया गया है। क्[illegible] साबिक खसरा नम्बर 205 रकबा 1.03 बीघा गै.मु.रास्ता के पश्चिम दिशा में साबिक खसरा नम्बर 206 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.10 16:42:23 IST
Reason: SelfAttested

Vgenu
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

भूमि स्थित थी। पूर्व दिशा की ओर साबिक खसरा नम्बर 184, 200, 203.204 स्थित है। परन्तु वर्तमान नक्शा लदठा में भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक खसरा नम्बर 205 हाल खसरा नम्बर 403 गै०म०रास्ता के पूर्व दिशा की ओर साबिक खसरा नम्बर 206 के हाल खसरा नम्बर 402. 353, 353.357.358.358/1657,401 बना दिये गये एवं दक्षिणी पश्चिमी दिशा में खसरा नम्बर 404.405,406 बना दिये गये। भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक खसरा नम्बर 205 के हाल खसरा नम्बर 403 गै०मु०रास्ता का अंकन नक्शा लट्ठा में दर्ज हो जाने से वादीगण के खेतों के बीच से रास्ता दर्ज हो गया। वर्तमान में वादीगण के खातेदारी की साबिक खसरा नम्बर 206 रकबा 3 बीघा के हाल खसरा नम्बर 353,356,357,402,404 कुल किता 5 रकबा 0.76 है० बना दिये जिससे खसरा नम्बर 404 के सहारे खसरा नम्बर 403 रकबा 0.34 है० गै०मु०रास्ता भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलती से दर्ज हो गया है। उक्त खसरा नम्बर 403 खसरा नम्बर 353,354,355,357,402,401 की दक्षिण दिशा एवं खसरा नम्बर 404,405,406 की उत्तर दिशा से होकर जा रहा है। जबकि उक्त यह सभी खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 206 से बने हुए है। साबिक खसरा नम्बर 206 में कोई गै०मु०रास्ता रिकार्ड में दर्ज नहीं था। साबिक खसरा नम्बर 205 रकबा 1.03 बीघा गै०मु०रास्ता के हाल खसरा नम्बर 403 रकबा 0.34 है० का सेटलमेन्ट के पूर्व के रिकार्ड अनुसार वर्तमान रिकार्ड से मेल नहीं खाता है। वादीगण की भूमि के बीच में होकर दर्ज कर दिया गया है। यह रास्ता भू–प्रबन्ध से पूर्व हाल खसरा नम्बर 353,354,355,358,358/1657 व 401 के उत्तर दिशा में होकर रिकार्ड दर्ज था। उक्त खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 206 के ही टुकडे है। भू–प्रबन्ध से पूर्व रिकार्ड अनुसार साबिक खसरा नम्बर 205 गै० मु०रास्ता साबिक खसरा नम्बर 206 के उत्तर पूर्व दिशा से एवं साबिक खसरा नम्बर 184 रकबा 2.17 बीघा के दक्षिण व पश्चिम दिशा (बीच की मेड) से एवं साबिक खसरा नम्बर 203, 204, 202 की पश्चिम दिशा की तरफ से आता था। भू–प्रबन्ध से पूर्व व बाद के रिकार्ड का मिलान करने पर यह स्पष्ट होता है कि हाल खसरा नम्बर 403 रकबा 0.34 है० गै० मु०रास्ता वर्तमान में जहां पर दर्ज है. यह रास्ता हाल खसरा नम्बर 352, 360, 364, 359, 399, 400, 396 के दक्षिण पश्चिमी मेड तथा खसरा नम्बर 353, 354, 355, 358, 358/1657 व 401 की उत्तर पूर्वी मेड से होकर रिकार्ड में दर्ज होना था, परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भू–प्रबन्ध के दौरान दर्ज कर दिया गया। जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपनी रिपोर्ट में हाल खसरा नम्बर 403 गै० मु० रास्ता को खसरा नम्बर 353, 354, 355, 358, 358/1657 की उत्तर दिशा की मेड व खसरा नम्बर 401 की उत्तरी पूर्वी मेड से होकर दर्ज करने की अभिशंषा की है, जिससे प्रकरण में भू–प्रबंध द्वारा गलत जगह रास्ता दर्ज होना स्पष्ट है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.10 16:42:23 IST
Reason: SelfAttested

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

–:आदेश:–

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे ग्राम बिन्जारी, तहसील चौथ का बरवाड़ा के खसरा नंबर 403 रकबा 0.34 है0 में से 0.10 है0 भूमि कम करते हुए शेष रकबे को वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम बिन्जारी तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर की वर्तमान में हाल खसरा नंबर 352, 360, 364, 359, 399, 400, 396 के दक्षिण व पश्चिम की मेड़ व खसरा नंबर 353, 354, 355, 358, 358/1657 व 401 के उत्तर व पूर्व की मेड़ से होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावे एवं खसरा नंबर 403 रकबा 0.34 है0 में से 0.10 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जावे एवं नवीन खसरा नम्बर 353 रकबा 0.05 एवं खसरा नंबर 357 रकबा 0.05 है0 को हजफ कर गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जावे। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे खसरा नंबर 403 रकबा 0.34 है0 में से 0.10 है0 जो कि वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज हुई है, में प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ चौथ का बरवाड़ा
सत्यमेव जयते

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.10 16:42:23 IST
Reason: SelfAttested

वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी** स्थान **चौथ का बरवाडा**

1. केदार पुत्र छीतर
2. सागर पुत्र छीतर
3. रामलाल पुत्र छीतर

समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान बिन्जारी, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।

नम्बर मुकदमा 11 सन् 2023

दावा बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0 एक्ट एवं इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

वादीगण की ओर से **श्री हंसराज यादव, एडवोकेट** एवं प्रतिवादी की ओर से **तहसीलदार, पैरोकार सरकार** की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 10.12.2025 को **श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि** बिन्जारी, तहसील चौथ का बरवाड़ा के खसरा नंबर 403 रकबा 0.34 है0 में से 0.10 है0 भूमि कम करते हुए शेष रकबे को वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम बिन्जारी तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर की वर्तमान में हाल खसरा नंबर 352, 360, 364, 359, 399, 400, 396 के दक्षिण व पश्चिम की मेड़ व खसरा नंबर 353, 354, 355, 358, 358/1657 व 401 के उत्तर व पूर्व की मेड़ से होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावे एवं खसरा नंबर 403 रकबा 0.34 है0 में से 0.10 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जावे एवं नवीन खसरा नम्बर 353 रकबा 0.05 एवं खसरा नंबर 357 रकबा 0.05 है0 को हजफ कर गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जावे। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे खसरा नंबर 403 रकबा 0.34 है0 में से 0.10 है0 जो कि वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज हुई है, में प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें।

इस वाद के खर्चे लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 10.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	00	00			
	जोड	00	00	जोड		00

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.10 16:42:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)